राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-36)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013 / 5265-5411 दिनांक 18/9/13

—: कार्यालय आदेश :—

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण विकास परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 यथा संशोधित 2011 के अनुच्छेद 44 एवं 45 के अनुसार परियोजना में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक जलग्रहण समिति का गठन ग्रामसभा में किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार ही राज्य में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत जलग्रहण समितियों का चयन सम्बन्धित ग्रामसभा द्वारा किया जा रहा है।

जलग्रहण परियोजनाओं में जलग्रहण समिति सदस्यों की सकिय भागीदारी एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जलग्रहण समिति के प्रति सदस्य एवं अध्यक्ष को प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली बैठकों में उनकी उपस्थिति के अनुपात में बैठक भत्ता अधिकतम राशि रु. 200/— माह के अन्त में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त राशि का वहन जलग्रहण समिति को प्रशासनिक मद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से राशि की उपलब्धता की सीमा तक किया जायेगा।

उक्त आदेश एस.एल.एन.ए. की छठी बैठक दिनांक 25.07.2013 एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101303852 दिनांक 04.09.2013 से अनुमोदित है।

18.9.13

(एम.एस.काला)

निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-36)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013 / 5265-5411 दिनांक : 18/9/13

प्रतिलिपि :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त जिले)
8. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
10. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले)।
12. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त जिले)।
13. सहायक अभियन्ता (जलग्रहण) एवं पी.आई.ए., पंचायत समिति
14. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

18.9.13

निदेशक